संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांकः 29/11/2023

–विज्ञप्ति–

–कोर्ट आर्डर राउण्ड (बी ए एम एस/बी एच एम एस)–

याचिका कमांक 29227/2023 अन्य एवं याचिका कमांक 29237/2023 में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/11/2023 व 28/11/2023 के अनुकम में वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल एवं शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल के लिये एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से कोर्ट आर्डर राउण्ड का संपादन किया जा रहा है।

1– प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत कोर्ट आर्डर राउण्ड का कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

कमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटो की स्थिति	दिनांक 29/11/2023
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता कम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 30/11/2023 से 03/12/2023
3	सीट आवंटन	दिनांक 05/12/2023
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 06/12/2023 से 07/12/2023 सायं 06 बजे तक
5	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 06/12/2023 से 07/12/2023

नोटः–

1– उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण/स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड/स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत/सत्यापित अभ्यर्थी कोर्ट आर्डर राउण्ड में सम्मिलित हो सकते है।

2.1– वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली से शिक्षण सत्र 2023–24 के लिये 18 अतिरिक्त सीटों हेतु कोई प्रवेशानुमति प्राप्त नही हुई है। उक्त महाविद्यालय को मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका कमांक 29227/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23/11/2023 व 28/11/2023 के परिपालन में महाविद्यालय की अतिरिक्त 18 सीटों के लिये काउंसिलिंग प्रकिया आयोजित की जा रही है। उक्त महाविद्यालय की 18 सीटों पर होने वाले प्रवेश याचिका कमांक 29227/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रवेश निरस्तीकरण की दशा में आयुष विभाग जिम्मेदार नही होगा।

2.2– शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से शिक्षण सत्र 2023–24 हेतु कोई प्रवेशानुमति प्राप्त नही हुई है। उक्त महाविद्यालय को मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका कमांक 29237/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23/11/2023 व 28/11/2023 के परिपालन में काउंसिलिंग प्रकिया आयोजित की जा रही है। उक्त महाविद्यालय में होने वाले प्रवेश याचिका कमांक 29237/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रवेश निरस्तीकरण की दशा में आयुष विभाग जिम्मेदार नही होगा।

3– अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वविवेक प्रवेश प्राप्त करें।

4– उपरोक्त महाविद्यालयों में प्रवेश के समय NCISM/NCH के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में अंडरटेकिंग जमा करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। इस हेतु अंडरटेकिंग का निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते है।

5– नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल www.ayush.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

29/11/23

प्र0सं0युक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0

38/f:\pankaj\2023\counselling 2023-24\vigyapan 2023.docx